फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री केशुलाल | विपक्षी : श्रीमती परतावी

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 86 / 22

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा। साक्ष्यवादी बंद की जाती है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया था। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात में स्वर्गीय दौला पिता गोतम जी का कलम 2 (क) में 1/2 हिस्सा और कलम 2 (ख) में 1/4 हिस्सा था। दौला जी की मृत्यु दिनांक 10.09.2017 को हुई। उनके वारिसान वादी और प्रतिवादी स. 1, 2 है। वादग्रस्त आराजीयात में स्वर्गीय दौला जी की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप में वादी का नाम त्रुटि से रह गया व प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम अंकन हो गया। अधिवक्ता वादी द्वारा बताया कि कलम न. 2 (क) प्रतिवादी संख्या 1, 2 का हिस्सा 1/4, 1/4 त्रुटिपूर्ण है जबकि सही हिस्सा प्रतिवादी सं. 1, 2 का 1/6, 1/6 व वादी 1/6 है इसी तरह कलम 2 (ख) में भी प्रतिवादी स. 1, 2 का 1/8, 1/8 हिस्सा त्रुटिपूर्ण है जबकि सही हिस्सा प्रतिवादी स. 1, 2 का 1/12, 1/12 व वादी का 1/12 है। उक्त त्रुटि को सही कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 1, 2 का स्वीकारात्मक जवाब पेश किया गया तथा दौला जी के वारिसान वादी व प्रतिवादी स. 1, 2 को हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा खानातलाब पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 45 किता 30 रकबा 4.6700 है भूमि में खातेदार गेंदकी पत्नि दौला हिस्सा 1/4 व परतावी पुत्री दौला हिस्सा 1/4 के हिस्से में संशोधन करते हुए वादी को 1/6 हिस्से का प्रतिवादी स. 1 को 1/6 हिस्से का प्रतिवादी स. 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। इसी प्रकार खाता संख्या नया 44 किता 1 रकबा 0.0300 है. भूमि में खातेदार गेंदकी पत्नि दौला हिस्सा 1/8 व खातेदार परतावी पुत्री दौला हिस्सा 1/8 के हिस्से में संशोधन करते हुए वादी को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी स. 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी स. 2 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 15:58:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 86/22 अन्तर्गत केशुलाल बनाम परतावी निर्णय दिनांक 15.04.2024

डिकी व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 [illegible])

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र वहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 86/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/192

1. श्री केशुलाल पिता दोला जी जाति रावत निवासी खाना तालाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.........वादी

बनाम

1. श्रीमती परतावी पुत्री दोला जी जाति रावत निवासी खाना तालाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती गन्दकी पत्नि दोला जी जाति रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 86/22(वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र वहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरुप वादी का वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खानातलाब पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 45 किता 30 रकबा 4.6700 है. भूमि में खातेदार गंदकी पत्नि दोला हिस्सा 1/4 व परतावी पुत्री दौला हिस्सा 1/4 के हिस्से में संशोधन करते हुए वादी को 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी स. 1 को 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी स. 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। इसी प्रकार खाता संख्या नया 44 किता 1 रकबा 0.0300 है. भूमि में खातेदार गंदकी पत्नि दौला हिस्सा 1/8 व खातेदार परतावी पुत्री दोला हिस्सा 1/8 के हिस्से में संशोधन करते हुए वादी को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी स. 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी स. 2 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया। वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज ता[illegible]04.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 15:58:56 IST
Reason: SelfAttested